



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



संख्या : शैक्षिक / 10 / 2021-22
दिनांक : 24 / 08 / 2021

अधिसूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 14.05.2021 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.06.2021 के अनुपालन में सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम अनुमोदित एवं लागू कर दिया गया है। पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के आलोक में प्रारम्भ किया जायेगा। प्रवेश एवं पाठ्यक्रम में छात्र/छात्राओं द्वारा चुने जाने वाले विषयों की संरचना एवं पाठ्यक्रम संचालन हेतु दिशा-निर्देश फोर्स के टास्क द्वारा शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20.04.2021 एवं संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी०सी० दिनांक 13.07.2021 के अनुपालन में तैयार कर लिये गये हैं। इस प्रकार सूच्य है कि सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राएं स्नातक स्तर पर प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लेंगे तथा महाविद्यालय छात्रों को पाठ्यक्रमों में प्रस्तावित विषय संरचना एवं संलग्न दिशा-निर्देश के अनुरूप अध्यापन करायेंगे।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 में बीए०, बी०एस०सी एवं बी०कॉम के स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश संलग्न प्रवेश सम्बन्धी नियमावली तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप जारी अन्य सम्बन्धित दिशा निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे। भविष्य में जारी शासकीय निर्देशों के अनुक्रम में इस नियमावली व निर्देशों का संशोधित संस्करण या अलग से कोई अन्य अधिसूचना जारी की जा सकती है।

संलग्नक-यथोपरि।

कुलसचिव

संख्या:शैक्षिक / 846 / 2021

दिनांक: 24 / 08 / 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
3. प्रभारी वेब साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सहायक कुलसचिव प्रशासन/परीक्षा, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
5. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के सगस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार किये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों एवं स्नातक स्तर पर सी०बी०सी०एस० सेमेस्टर सिस्टम को शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20.04.2021, संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 13.07.2021; अपर मुख्य सचिव, उच्च विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 25.06.2021 के द्वारा परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासकीय निर्देश जारी किये गये हैं।

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स ने प्राप्त सभी शासनादेशों को अंगीकृत कर शैक्षिक सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार किये हैं। टास्क फोर्स द्वारा तैयार किये गये दिशा निर्देशों को लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसी सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. क्षेत्र:

- 1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत की जा रही व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (बी.टेक, एम.सी.ए. आदि) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 1.2 यह व्यवस्था तीन विषय वाले पाठ्यक्रमों बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०कॉम० के सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होगी।
- 1.3 विधि (बी.ए.एल.एल.बी., बी.एससी.एल.एल.बी., एल.एल.बी., एल.एल.एम. इत्यादि) शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पीएड., एम.पीएड., इत्यादि) के लिए व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एनईपी-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जाएगा।

2. परिभाषाएं:

2.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)

विद्यार्थी द्वारा चुने गये अपने संकाय में एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री,

पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री, छः वर्ष की पी०जी०डी०आर० तथा शोध उपाधि यथा—बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०कॉम, एल०एल०बी०, पी०एच०डी० इत्यादि।

2.2 संकाय (Faculty)

- 2.2.1 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर जिस संकाय से दो मेजर विषयों का चुनाव करेगा वह संकाय विद्यार्थी का “अपना संकाय” (Own Faculty) कहलायेगा।
- 2.2.2 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 2.2.3 विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।
- 2.2.4 विद्यार्थियों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय। भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय एवं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी।

2.3 विषय (Subject)- यथा

- 2.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 2.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

2.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)- यथा

- 2.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 2.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

3. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारणी:

- 3.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर में प्रवेशित विद्यार्थियों पर ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे।

- 3.2 तीन विषय वाले स्नातक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 3.3 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 3.4 बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम. एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 3.5 पीएच.डी. कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं विषय चयन की व्यवस्था:

4.1 प्रवेश

- 4.1.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेब साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँगे तथा डब्ल्यू०आर०एन० नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग/महाविद्यालयों में जमा कर मेरिट अथवा अन्य प्रवेश नियमों, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।
- 4.1.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान कि जाने वाली डिग्री यथा बी०ए०, बी०एस०सी० अथवा बी०कॉम में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।
- 4.1.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी।

4.2 मेजर विषयों का चुनाव

- 4.2.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन महाविद्यालय में मेरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर तक) अथवा पाँच वर्ष (स्नातक व परास्नातक तक) अध्ययन कर सकेगा।
- 4.2.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है।

- 4.2.3 इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।
- 4.3 मेजर विषयों को बदलने की सुविधा**
- 4.3.1 विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संसाधनों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में संकाय अथवा मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 4.3.2 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 4.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव**
- 4.4.1 तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4.4.2 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 4.4.3 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- 4.4.4 स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक-एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।
- 4.4.5 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 4.4.6 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।

4.4.7 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान/महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में रो किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

4.5 रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए पेपर का चुनाव

4.5.1 पाठ्यक्रम के प्रकार: पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं—

- Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम
- Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा।

4.5.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे।

4.5.3 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अर्जित किये गए क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा कराएँगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथास्थान जोड़ा जा सके।

4.5.4 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3 x 4= 12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा।

4.6 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-curricular)

4.6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छह सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।

4.6.2 स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा:—

- प्रथम सेमेस्टर: भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- द्वितीय सेमेस्टर: प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- तृतीय सेमेस्टर— मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)

- **चतुर्थ सेमेस्टर:** शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)
 - **पंचम सेमेस्टर:** विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)
 - **षष्ठम सेमेस्टर:** संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास (Communication Skills and Personality Development)
- 4.6.3 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।
- 4.6.4 इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4.7 शोध परियोजना :

- 4.7.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी०जी०डी०आर० स्तर पर विद्यार्थी को पांचवें से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।
- 4.7.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से संबन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 4.7.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।
- 4.7.4 स्नातक स्तर एवं पी०जी०डी०आर० के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 4.7.5 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

[Handwritten signatures]

5. कौशल-विकास/रोजगारपरक (Skill Development/Vocational) पाठ्यक्रमों के संचालन किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश:

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या -1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18.08.2021 के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी:-

5.1 पाठ्यक्रम

- 5.1.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्वुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।
- 5.1.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट कॉउंसिल आदि के सहयोग से यू०जी०सी०/एन०एस०क्यू०एफ० (NSQF: National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।
- 5.1.3 जिन ट्रेड में यू०जी०सी०/ एन०एस०क्यू०एफ०/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इन्टरनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।
- 5.1.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०यू० की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कॉलेज प्रशासन करेगा।
- 5.1.5 सामान्य/थ्योरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट-15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट-30 घंटों का होगा अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंटे की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी।

5.3 सीट निर्धारण

कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

5.4 समझौता ज्ञापन (MoU)

- 5.4.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-602/ सत्तर-3-2021-08 (35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जाने अपेक्षित हैं।

- 5.4.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे।
- 5.4.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण/ इन्टरनशिप के लिये विश्वविद्यालयी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय सम्बन्धित विभागों से समन्वय करेंगे।
- 5.4.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।
- 5.4.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

6. कक्षाओं हेतु समय-सारणी:

- 6.1 सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- 6.2 सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- 6.3 कॉलेज समय-सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सायं) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टरनशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय-सारणी के पश्चात् करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

- 7.1 विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- 7.2 विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- 7.3 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- 7.4 पूर्व पात्रता (Pre-requisite) के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

8. डिग्री का संकाय एवं पूरा करने की अवधि/पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता एवं आगामी सेमेस्टर में प्रवेश:

- 8.1 विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.2 विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले-अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 8.4 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के कम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

- 9.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य: थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

- 9.3 **क्रेडिट्स का राज्य स्तर पर संरक्षण:**— क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या-1816/सत्तर-3-2021 दिनांक 09.08.2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा-निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।
- 9.4 **वर्षवार/मोड्यूलवार पाठ्यक्रमों के नाम:**— विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री; न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- 9.5 **क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि-क्रेडिट की सुविधा:**— एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जाएंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 9.6 **योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा:**— यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी; परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 9.7 **संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं:**— द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 9.8 **छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री:**— तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- 9.9 **बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.):**— यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह



उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

- 9.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि-क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ:— यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 9.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट :— रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

- 10.1 क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 10.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।

11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ:

- 11.1 ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट को जोड़ने की व्यवस्था:— विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों (UGC, SWAYAM, MOOCs portals) से 20 प्रतिशत तक या यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपालन में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित किये जाने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- 11.2 विशेष विषय को अन्य शिक्षण संस्थानों से पढ़ने की सुविधा:— विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय

पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

11.3 एन०सी०सी० एक लघु-वैकल्पिक विषय (माईनर इलेक्टिव)

- 11.3.1 लघु-वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन०सी०सी० को भी सम्मिलित किया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं०-1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 09.08.2021)
- 11.3.2 लघु-वैकल्पिक पेपर एन०सी०सी० का पाठ्यक्रम न्यूनतम समान पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जायेगा। तदनुसार विश्वविद्यालय की अध्ययन समिति (BoS) एवं अन्य सक्षम समितियों के समक्ष रखकर अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी।
- 11.3.3 एन०सी०सी० लघु-वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन०सी०सी० कैंडेटों के लिये उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन भी किया जायेगा।

12. परीक्षा व्यवस्था:

- 12.1 सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- 12.2 सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation: CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- 12.3 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- 12.4 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, क्लास टेस्ट की उत्तरपुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- 12.5 सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।
- 12.6 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा
- 12.6.1 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्योरी/सामान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालयी संस्थानों/ महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी

- तथा ट्रेनिंग/इन्टरशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा रिकल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।
- 12.6.2 रिकल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इन्टरशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके रिकल का आंकलन कर सकते हैं।
- 12.6.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।
- 12.6.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।
- 12.6.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं रिकल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं।

13. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है:

- 13.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- 13.2 द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
- 13.3 तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.4 चौथे वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी। जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.5 पांचवे वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर Master in Faculty उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.6 छठें वर्ष तक 248 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होंगी, जिसे

उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा (शोध) (P.G.D.R. – Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

- 13.7 प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) शोध-प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 13.8 यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- 13.9 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी; महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- 13.10 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

- संलग्नक:** 1. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना।
2. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बनाने हेतु संरचना प्रारूप।

Manoj K. Srivastava
18.08.2021

(प्रो० मनोज कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक, समाज विज्ञान संस्थान,
आगरा।

अजय तनेजा
19/8/21

(प्रो० अजय तनेजा)
निदेशक, आई०क्यू०ए०सी०

वी०के० सरस्वत
19.08.2021

(प्रो० वी०के० सरस्वत)
निदेशक, आई०ई०टी०

Vijay K. Singh
18/8/21

(डॉ० वी०के० सिंह)
ऐसो० प्रो०, जन्तु विज्ञान
आगरा कॉलेज, आगरा

Sanjay Jain
18.08.21

(डॉ० संजय जैन)
ऐसो० प्रो०, सांख्यिकी विभाग,
सेन्ट जोन्स कॉलेज, आगरा

कुंलसिंह
18/8/21

संलग्नक-2

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-					
Nodal Department of HEI to run course					
Broad Area/Sector-					
Sub Sector-					
Nature of course - Independent / Progressive					
Name of suggestive Sector Skill Council					
Aliened NSQF level					
Expected fees of the course -Free/Paid					
Stipend to student expected from industry					
Number of Seats-.....					
Course Code-.....					Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Max Marks...100..... Minimum Marks.....					
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT					
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)					
Syllabus					
Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
Suggested Readings:					
Suggested Digital platforms/ web links for reading-					
Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner					
Suggested Continuous Evaluation Methods:					
Course Pre-requisites:					
<ul style="list-style-type: none"> • No pre-requisite required, open to all • To study this course, a student must have the subject in class/12th/ certificate/diploma • If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series. 					
Suggested equivalent online courses:					
Any remarks/ suggestions:					
Notes:					
<ul style="list-style-type: none"> • Number of units in Theory/Practical may vary as per need • Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year • Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15) • Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60) 					

